

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2014—भाद्र 18, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 5154-234-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन

अध्यादेश, २०१४.

“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ९ सितम्बर २०१४ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ है.
- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
- अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“१३.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल.	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, 202 गंगा-जमुना काम्पलेक्स, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन.एच.-12, होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”.

भोपाल :

तारीख ५ सितम्बर २०१४.

राम नरेश यादव

राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 5155-234-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2014

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
SANSHODHAN ADHYADESH, 2014

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th September, 2014.

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2014. **Short title.**
2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3. **Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.**
3. In Schedule to the principal Act, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:— **Amendment of Schedule.**

S.No. (1)	Name of private university (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"13.	Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal.	R.K.D.F. Education Society, 202 Ganga-Jamuna Complex, Zone-1, M. P. Nagar, Bhopal.	Society registered under the Madhya Pradesh Society Registrakaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sarvepalli Radhakrishnan University, NH 12, Hoshangabad Road, Jatkhedhi, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh".

Bhopal :

Dated 5th September 2014.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.